



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 12.03.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के अभियोग में आरोपी को करायी गई 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक: 17.11.2015 को थाना लालगंज पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-1338/2015 धारा 363,366 भादवि व 17 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सुनीता गुप्ता, विवेचक-उपनिरीक्षक जितेन्द्र यादव, कोर्ट मुहर्रिर-महिला मुख्य आरक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी व मुख्य आरक्षी पंकज कुमार तथा पैरोकार-आरक्षी अनिल विश्वकर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रामनरेश उर्फ संतोष कुमार पुत्र पारसनाथ निवासी बसाहीपुर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को धारा 363,366 भादवि व 17 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



मीरजापुर पुलिस

थाना लालगंज



ऑपरेशन कन्विक्शन



पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाये जा रहे अभियान **#OperationConviction** के तहत थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0-1338/2015 धारा 363,366 भादवि व 17 पॉक्सो एक्ट** की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक: 12.03.2025 को मा0न्यायालय द्वारा **दोषसिद्ध अभियुक्त- रामनरेश उर्फ संतोष कुमार पुत्र पारसनाथ निवासी बसाहीपुर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



लोक अभियोजक
एडीजीसी- सुनीता गुप्ता



पैरोकार
आरक्षी- अनिल विश्वकर्मा



कोर्ट मोहर्रिर
महिला मु0आरक्षी- प्रज्ञा चतुर्वेदी
मुख्य आरक्षी- पंकज कुमार
विवेचक
उपनिरीक्षक- जितेन्द्र यादव

 @mirzapurpolice

 Mirzapur Police

 mirzapur.police